रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2958] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 15, 2016/अग्रहायण 24, 1938
No. 2958] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2016/AGRAHAYANA 24, 1938

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा- I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2016

का. आ. 4050(अ).- जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2162 (अ) के तहत उक्त अधिनियम की धारा 11 के उप-खण्ड (i) के प्रयोजन हेतु प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, पुडुचेरी को विशेष न्यायालय के बतौर अधिसूचित किया था, जिसका अधिसूचित अपराधों के विचारण के लिए कार्यक्षेत्र पूरा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र होगा;

और जबकि, थीरू सी.वी. कार्थिकेयन, मुख्य न्यायाधीश, पुडुचेरी, जिन्हें दिनांक 24 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 23 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 2030 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, का उन्नयन माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास के बतौर किया गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 23 जुलाई, 2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2030 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, मद्रास की सिफारिश पर श्री टीएमटी. एस. रामाथिलगम, जिला न्यायाधीश को, एतद्द्वारा, विशेष न्यायालय की अध्यक्षता हेतु न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Internal Security-1 Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2016

S. O. 4050(E).— Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, vide notification number S.O. 2162(E) dated the 1st September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st September, 2010, notified the Principal District and Sessions Court, Puducherry as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the Union Territory of Puducherry for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Thiru C.V. Karthikeyan, Chief Judge, Puducherry, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court vide notification number S.O. 2030 (E) dated the 23rd July, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24th July, 2015, has been elevated as Hon'ble Judge of High Court, Madras;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 2030(E) dated the 23rd July, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court, Madras, hereby appoints Tmt. S. Ramathilagam, District Judge as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Nishok Kumar Paria Digitally signed by Nishok Kumar Paria Date: 2016.12.17 14:52:53 +05'30'